

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(312)नवि/2011

जयपुर, दिनांक:

23 DEC 2011

आदेश

श्री आर० एन० मीणा, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. को विशेष अनुमति याचिका संख्या 16668/2008 जयपुर नगर निगम व अन्य बनाम लेखराज सोनी व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2011 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा गठित की गयी राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस माननीय श्री वी.एस.दवे एवं सेवानिवृत्त जस्टिस माननीय श्री आई.एस.ईसरानी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) का सचिव एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री मीणा की पुनर्नियुक्ति Fix Amount Rs. 45000/- प्रतिमाह देय पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, इन्हें Fix वेतन का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश वित्त एवं कार्मिक विभाग की आई०डी० क्रमांक क्रमशः 1011037799 दिनांक 14.11.2011 एवं 1703/कार्मिक/क-2/11 दिनांक 22.12.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

(एन०एल०मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, विभाग।
3. सेवानिवृत्त जस्टिस माननीय श्री वी०एस०दवे।
4. सेवानिवृत्त जस्टिस माननीय श्री आई०एस०ईसरानी।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग/वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (समस्त)
9. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
10. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महापौर नगर निगम, जयपुर।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
15. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
16. श्री आर.एन.मीणा, सेवानिवृत्त आर.ए.एस।
17. संयुक्त/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय

23/12/2011